न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 57/2022

अनवान : –

1. बलवीरसिंह पुत्र रामलाल उर्फ लिखमीचंद उम्र 60 साल पेशा सेवानिवृत अध्यापक जाति जाट निवासी अनूपशहर तहसील भादरा।

–प्रार्थी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र रिकार्ड दुरस्ती
अन्तर्गत धारा 136 लैण्डरैवेन्यू एक्ट

उपस्थिति :– श्री मांगीलाल देहड़ू अधिवक्ता **प्रार्थी**
राजपेरोकार

निर्णय दिनांकः 13/06/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट. के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक 10 डीपीएन तहसील नोहर के खाता संख्या 55/51 की कुल 5.8190 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

प्रार्थी के पिता का नाम रामलाल है जबकि बाद में प्रार्थी के पिता ने अपना नाम रामलाल की जगह लिखमीचंद दर्ज करवा लिया और जब आवेदक का उसके भाई बलवंत के नाम चक न0 10 डीपीएन में जमीन अलॉट कराई तो उसमें आवेदक के पिता ने हम दोनो भाइयों की वल्यिदत रामलाल के स्थान पर लिखमीचंद दर्ज करवा दी जिससे आवेदक को बड़ी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।

राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत दर्ज होने से प्रार्थी को विभिन्न प्रकार की परेशानीयों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में लिखमीचंद के स्थान पर सही व वास्तविक नाम रामलाल दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 को काफी मर्तबा कहा कि प्रार्थी के पिता का नाम सही दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तो आजकल करते रहे किंतु अंत मे इन्कार हो गये इसलिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार राजस्व नोहर द्वारा रिपोर्ट प्रेषित की गई जो की शामिल मिसल किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.25 19:09:52 IST
Reason: SelfAttested

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौरान बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी के पिता का नाम लिखमींचद दर्ज हो गया जिससे प्रार्थी को विभिन्न प्रकार की परेशानीयों का सामना करना पड़ता है। अतः मुताबिक प्रार्थी के दस्तावेजों के

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

आधार पर राजस्व रिकार्ड में सही नाम लिखमीचंद के स्थान पर रामलाल दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 10 डीपीएन तहसील नोहर के खाता संख्या 55/51 की कुल 5.8190 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थी अपने पिता का नाम लिखमीचंद के स्थान पर रामलाल दर्ज करवाना चाहता है। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, आदि में प्रार्थी के पिता का नाम रामलाल अंकित है तथा सरपंच ग्राम पंचायत नांगल द्वारा भी नाम के संबंध में तस्दीक पेश की गई है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा चक 10 डीपीएन तहसील नोहर के खाता संख्या 55/51 की कुल 5.8190 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में **प्रार्थी के पिता का नाम लिखमीचंद के स्थान पर लिखमीचंद उर्फ रामलाल का संशोधन किया जाता है।** यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच प्रार्थी के पिता लिखमीचंद के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का प्रार्थी के पिता लिखमीचंद के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए प्रार्थी के पिता का नाम लिखमीचंद ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। तहसीलदार नोहर को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 13/06/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हों एवं उक्त निर्णय शामिल पत्रावली किया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.25 19:09:52 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, नोहर

पीठासीन अधिकारी : **पंकज गढ़वाल (आर०ए०एस०)**

क्रमांक : रीडर/सशोधन/2024/ 614 दिनांक : 18/06/24

तहसीलदार,

नोहर।

विषय :– प्रकरण स0 57/2024 अनवानी बलवीर सिंह बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना करवाने के संबंध में।

प्रकरण संख्या – 57/2022

अनवान : –

1. बलवीरसिंह पुत्र रामलाल उर्फ लिखमीचंद उम्र 60 साल पेशा सेवानिवृत अध्यापक जाति जाट निवासी अनूपशहर तहसील भादरा।

–प्रार्थी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण में निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 10 डीपीएन तहसील नोहर के खाता संख्या 55/51 की कुल 5.8190 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में **प्रार्थी के पिता का नाम लिखमीचंद के स्थान पर लिखमीचंद उर्फ रामलाल का संशोधन किया जाता है।** यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच प्रार्थी के पिता लिखमीचंद के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का प्रार्थी के पिता लिखमीचंद के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए प्रार्थी के पिता का नाम लिखमीचंद ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्य में प्रकट होता है तो प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.25 19:09:52 IST
Reason: SelfAttested